उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687	GSTN: 09AAACU8823E1Z9
कारपोरेट टैक्स	Corporate Tax

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0: 16 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019/ दिनांक 23/10/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0
एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0 जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

विषयः– 01 अक्टूबर 2019 से लागू जी0एस0टी0 में संशोधन के सम्बन्ध में।

1. Renting of Motor Vehicle-(In Specified Cases Only) पर RCM के सम्बन्ध में–

वर्तमान में Services from GTA/Advocates/PRD, Security Services-(In Specified Cases Only) इत्यादि पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के तहत जी0एस0टी0 (कर) सम्बन्धित इकाईयों द्वारा जमा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं0–22/2019–Central Tax (Rate) दिनांक 30 सितम्बर 2019 के द्वारा कुछ विशेष दशाओं में **Renting of Motor Vehicle** को भी केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9(3) में RCM के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

अतः निम्नवत् सभी तीन दशाओं के पूर्ण होने पर इकाईयों द्वारा प्राप्त की जा रहीं Renting of Motor Vehicle सेवाओं पर, धारा 9(3) में RCM के तहत जी0एस0टी0 (कर) सरकारी कोष में सम्बन्धित इकाई द्वारा ही जमा किया जायेगाः–

1. उक्त सेवाऐं जी0एस0टी0 में पंजीकृत सेवा–प्रदाता से प्राप्त हो, एवं
2. उक्त पंजीकृत सेवा–प्रदाता **Body Corporate ना हो** (अर्थात् सेवा–प्रदाता Proprietorship/HUF/Partnership फर्म इत्यादि हो), एवं
3. उक्त पंजीकृत सेवा–प्रदाता द्वारा इकाई को टैक्स इनवॉइस उपलब्ध कराया गया हो, जिसमें **CGST/SGST @ 2.5%/2.5%**, या **IGST@5%** अंकित/चार्ज किया गया हो।

उपरोक्त प्रावधानों हेतु "Motor Vehicle" की निम्नलिखित परिभाषा CGST Act, 2017 में वर्णित की गई है:

" 'motor vehicle' or 'vehicle' means any mechanically propelled vehicle adapted for use upon roads whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer; but does not include a vehicle running upon fixed rails or a vehicle of a special type adapted for use only in a factory or in any other enclosed premises or a vehicle having less than four wheels fitted with engine capacity of not exceeding twenty-five cubic centimeters".

अतः उपरोक्त परिभाषा के अनुसार माल एवं सवारी दोनों प्रकार के वाहन **Motor Vehicle** में सम्मिलित है।

उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैः

(i) ऐसे प्रकरण जहाँ पंजीकृत सेवा–प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस में निर्धारित दर से जी0एस0टी0 अंकित/चार्ज तो किया जाता है, परन्तु उस जी0एस0टी0 की राशि को सरकारी कोष में जमा कराने का दायित्व रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत सेवा प्राप्तकर्ता (अर्थात् निगम की इकाई) का होता है, उन प्रकरणों में सेवा–प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस पर प्रायः **"Tax Payable Under Reverse Charge Mechanism (RCM):YES"** या **"GST Payable Under RCM:YES"** जैसे वाक्य स्पष्ट रूप से अंकित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे प्रकरण जिनमें Renting of Motor Vehicle की सेवाओं के लिए सेवा–प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस में जी0एस0टी0 नियमानुसार 12 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 चार्ज किया जाता है, उन प्रकरणों में RCM के उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

(उदाहरणास्वरूपः इकाईयों द्वारा केवल मोटर कार/जीप, (चालक सहित) किराये पर ली जाती हैं, जिसमें ईंधन विभाग द्वारा वहन किया जाता है, इस प्रकार की सेवाओं पर वर्तमान में 18 प्रतिशत की दर लागू है। अतः ऐसे प्रकरणों में RCM के उक्त प्रावधान लागू नहीं है।)

(iii) रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) की उक्त प्रयोज्यता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है

A. Services supplied before 1st October, 2019

S. No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	20.09.2019	30.09.2019	20.09.2019	Wherever services have been provided prior to 01.10.2019 and Tax Invoice has been issued by the service providers prior to such date, No liability under RCM arises even if the payment to the supplier has been made post 01.10.2019, as the time of supply has arisen prior to such date only.
2	10.09.2019	31.10.2019	10.09.2019	
3	10.09.2019	25.09.2019	10.09.2019	

B. Services supplied on or after 1st October, 2019

S. No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	31.10.2019	05.11.2019	31.10.2019	RCM would be applicable
2	31.10.2019	12.09.2019 (Advance Payment)	12.09.2019	No RCM on such advance
3	31.10.2019	**Total Payment Rs. 5 Lakhs** Rs. 3 Lakhs (Advance paid on 12.09.2019) &	12.09.2019	RCM not applicable for Rs. 3 Lakhs.
		Rs. 2 Lakhs on 05.11.2019	31.10.2019	However, w.r.t. Rs. 2 Lakhs liability would vest on the service recipient under RCM

2. अपंजीकृत प्रदाता से प्राप्त होने वाले वस्तु/सेवा पर Reverse Charge Mechanism (RCM) के सम्बन्ध में--

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9(4) के अन्तर्गत अपंजीकृत प्रदाता से प्राप्त होने वाले वस्तु/सेवा पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के अन्तर्गत इकाई पर जी0एस0टी0 की देयता, जिसे भारत सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा दिनांक 30.09.2019 तक स्थगित किया गया था, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस देयता को अग्रिम आदेशों तक पुनः समाप्त कर दिया गया है।

अतः अपंजीकृत व्यक्ति/फर्म से प्राप्त होने वाली वस्तु/सेवा पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक इकाई पर जी0एस0टी0 की देयता नहीं है।

(एल0 के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देशः /उ0म0प्र0/का0टैक्स/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/ गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण,लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
5. उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरोक्त

(एल0 के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)